



प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उ०प्र०, लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक: 29 अप्रैल, 2026

विषय: **वित्तीय वर्ष 2026-27 में परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/राजकीय विद्यालयों, समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/ माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा-1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्कूल बैग उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक: शि०नि०(बे०)/नियोजन/845-48/2026-27, दिनांक 07 अप्रैल, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/राजकीय विद्यालयों, समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/ माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा-1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्कूल बैग उपलब्ध कराये जाने हेतु प्राविधानित धनराशि ₹0 35000.00 लाख में से ₹0 25375.00 लाख (रूपये दो अरब तिरपन करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्राथमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्कूल बैग दिये जाने हेतु प्राविधानित धनराशि ₹0 35000.00 लाख में से **₹0 25375.00 लाख (रूपये दो अरब तिरपन करोड़ पचहत्तर लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

- (1) स्वीकृत की जा रही धनराशि को उसी कार्य एवं प्रयोजन हेतु व्यय किया जायेगा, जिस कार्य एवं प्रयोजन के लिए धनराशि दी जा रही है।
- (2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 में निहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत योजना के गार्ड-लाइन्स एवं सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी।
- (3) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।
- (4) किसी भी अनियमितता के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- (5) स्वीकृत की जा रही धनराशि को छात्र-छात्राओं के माता/पिता/अभिभावकों के आधार सीडेड बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डी०बी०टी०) किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुदान संख्या-71 के अंतर्गत लेखाशीर्ष-"2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय-04-प्राथमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को स्कूल बैग दिया जाना-42-अन्य व्यय" मद के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
वेद प्रकाश राय
संयुक्त सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपिनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
- 2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज ।
- 3- महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ०प्र० लखनऊ ।
- 4- राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ०प्र० लखनऊ।
- 5- निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, उ०प्र० लखनऊ।
- 6- निदेशक, एस०सी०ई०आर०टी०/माध्यमिक शिक्षा/साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, उ०प्र० लखनऊ।
- 7- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 8- वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा निदेशालय/बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० प्रयागराज।
- 9- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11, उ०प्र० शासन।
- 11- बेसिक शिक्षा अनुभाग-2, उ०प्र० शासन ।
- 12- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
वेद प्रकाश राय
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।